

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP17784684818007U
 Certificate issued Date : 07-Oct-2022 04:52 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14545804/ GONDA SADAR/ UP-GND
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1454580428224704113890U
 Purchased by : T D S B SHIKSHA AVM SEVA SANSTHAN BY URMILA SHUKLA
 Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : T D S B SHIKSHA AVM SEVA SANSTHAN BY URMILA SHUKLA
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : T D S B SHIKSHA AVM SEVA SANSTHAN BY URMILA SHUKLA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 750
 (Seven Hundred And Fifty only)



Please write or type below this line



Urmila Shukla



JD 0014012517

Statutory Alert:

The authenticity of the Stamp certificate should be verified at 'www.ahilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
 any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
 The locus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
 In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

तारा देवी श्याम बिहारी शिक्षा एवं सेवा संस्थान

न्यास विलेख

मैं श्रीमती उर्मिला शुक्ला पत्नी शिव शरण शुक्ला उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम टैगोर नगर, जानकी नगर, परगना, तहसील व जिला गोण्डा जिसको इस प्रलेख का संस्थापक न्यासकर्ता (मुख्य न्यासी) कहा गया है। इस प्रलेख के द्वारा एक न्यास कायम कर रही हूँ जिसका नाम तारा देवी श्याम बिहारी शिक्षा एवं सेवा संस्थान होगा।

विदित हो कि मैंने एक न्यास प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु गठित किया है इस न्यास के माध्यम से प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शैक्षिक संस्थाओं शिक्षा, सेवा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च व्यवसायिक शिक्षा, आवासीय विद्यालय चिकित्सालयों औद्योगिक विद्यालय, कृषि कॉलेज मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, प्रबन्धकीय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा आदि की स्थापना एवं संचालन करने का संकल्प है। न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली जन सेवाओं का सर्वधर्म सुखाय एवं सर्वधर्म हिताय लोगों की सहायता एवं सभी जाति समुदाय के कार्य करने व उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एवं सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यों के लिए उपयोग किया जायेगा। न्यास के संगठन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं।

1. यह कि न्यास का गठन रू० 11,000/- से प्रारम्भ किया जा रहा है।

UrmilaShukla



- 2- यह कि संस्थापक न्यासकर्ता द्वारा स्थापित उक्त न्यास का पंजीकृत कार्यालय टैगोरनगर, जानकी नगर गोण्डा में स्थित होगा उक्त न्यास के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा उसके उद्देश्यों की सुगम प्रतिपूर्ति के लिए इसके कार्यालय की शखायें देश व प्रदेश के अन्तर्गत अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जायेगी और उन कार्यालयों के पते उपरोक्त न्यास द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।
- 3- उर्मिला शुक्ला के त्यागपत्र अथवा निधन के पश्चात् रिक्त हुए संस्थापक मुख्य न्यासी के पद पर मुख्य न्यासकर्ता के रूप में विधिक रूप से प्रभाव उत्तराधिकारी अधिनियमों की संगत व्याख्या एवं उत्तराधिकारी की परिभाषा के अनुरूप मेरे मुख्य न्यासी (उर्मिला शुक्ला) के उत्तराधिकारी मुख्य न्यासकर्ता के पद को ग्रहण करेगी।
- 4- यह कि मैं उर्मिला शुक्ला अपने जीवन पर्यन्त उपरोक्त न्यास का संस्थापक मुख्य न्यासी रहूँगी तथा न्यास के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले समस्त कार्यों तथा स्थापित की जाने वाली संस्थाओं का अध्यक्ष भी कही जाऊँगी। न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में कार्य करने के लिए सहमति प्राप्त कर ली है। इस प्रकार मेरे द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास का न्यासी कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों का संयुक्त रूप से न्यास मण्डल कहा जायेगा। भविष्य में भी संस्थापक मुख्य के रूप में मेरे जीवन पर्यन्त मेरे द्वारा स्वविवेक से अन्य लोगों को न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में नामित किए जाने का अधिकार मेरे द्वारा सुरक्षित होगा। मेरे द्वारा मुख्य न्यासी के पद से त्यागपत्र दिये जाने अथवा मेरे निधन के उपरान्त इस न्यास प्रलेख के अनुसार मुख्य न्यासी के अधिकार प्राप्त व्यक्ति को भी अपने जीवन पर्यन्त न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में किसी भी व्यक्तिया को नामित किए जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।



Urmila Shukla



प्रबन्ध समिति के सदस्य

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	पद
1	श्रीमती उर्मिला शुक्ला	प्रोफेसर शिवशरण शुक्ला	टैगोर नगर जानकी नगर गोण्डा	समाज सेविका	अध्यक्ष
2	सौमित्र शुक्ला	प्रोफेसर शिव शरण शुक्ला	टैगोर नगर जानकी नगर गोण्डा	समाज सेवी/ नौकरी	उपाध्यक्ष
3	प्रोफेसर शिव शरण शुक्ला	स्व० श्री श्याम बिहारी शुक्ला	टैगोर नगर जानकी नगर गोण्डा	समाज सेवी/ नौकरी	सचिव / प्रबन्धक
4	शौनक शुक्ला	प्रोफेसर शिवशरण शुक्ला	टैगोर नगर जानकी नगर गोण्डा	समाज सेवी/ नौकरी	कोषाध्यक्ष
5	सौम्य शुक्ला	प्रोफेसर शिवशरण शुक्ला	टैगोर नगर जानकी नगर गोण्डा	समाज सेवी/ नौकरी	सह-सचिव
6	श्रीमती वन्दना शुक्ला	सौमित्र शुक्ला	टैगोर नगर जानकी नगर गोण्डा	समाज सेविका/ नौकरी	सदस्य
7	श्रीमती स्वाती	शौनक शुक्ला	टैगोर नगर जानकी नगर गोण्डा	समाज सेविका/ नौकरी	सदस्य
8	श्रीमती पूजा शुक्ला	सौम्य शुक्ला	टैगोर नगर जानकी नगर गोण्डा	समाज सेविका/ नौकरी	सदस्य

2:- न्यास (ट्रस्ट) के उद्देश्य:-

1. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।
2. ट्रस्ट द्वारा पैरा मेडिकल, मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय, डेंटल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, एन०टी०टी०, आवासीय विद्यालयों, बी०टी०सी०, बी०एड०, टेक्निकल कालेजों एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

Urmila Shukla



3. ट्रस्ट द्वारा गरीब और अनाथ बालक/बालिकाओं के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना एवं निःशुल्क पोषण एवं प्रशिक्षण देना।
4. ट्रस्ट द्वारा माध्यमिक एवं केन्द्रीय विद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।
5. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के प्रतिपूर्ण रुझान, लगन और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।
6. ट्रस्ट द्वारा शैक्षिक, नैतिक एवं सामाजिक स्तर के सुधार हेतु ज्ञानवर्द्धक पुस्तकों का भण्डारण करना तथा उसके माध्यम से लोगों में जागृति का संचार करना।
7. ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर में युवक/युवतियों एवं बालक/बालिकाओं के लिए खेलकूद व्यायाम शाला तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
8. ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के समुचित शिक्षा व्यवस्था में भरपूर मदद करना।
9. ट्रस्ट द्वारा लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन करना।
10. ट्रस्ट द्वारा बालक/बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।
11. ट्रस्ट द्वारा ज्ञानवर्द्धक हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।
12. ट्रस्ट द्वारा गरीबी अथवा अन्य कारणवश शिक्षा न प्राप्त करने अथवा बीच में ही छोड़ देने वाली महिलाओं, बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम कॉरैस्पण्डेंस कोर्स चलाना।
13. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रबन्धकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि के संचालन हेतु भवन निर्माण करना व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना।
14. ट्रस्ट द्वारा श्रमिक वर्ग खेतिहर वर्ग, निर्बल वर्ग, अल्पवर्ग, महिला वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, आदिवासी, मलिन वर्ग एवं गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा संचालन करना।
15. ट्रस्ट द्वारा बालक एवं बालिकाओं को सफल बनाने के लिए टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, शार्ट हैंड, फोटोग्राफी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
16. ट्रस्ट द्वारा वृद्ध, असहाय तथा अक्षम महिलाओं एवं पुरुषों हेतु वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
17. ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना। नदियों, जलाशयों की सफाई, मलिन बस्ती का सुधार, वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम चलाना।

Urmila Shukla



18. ट्रस्ट द्वारा ग्राम्य विकास के लिए कार्य करना, कमजोर एवं निर्बल वर्गों को निशुल्क आवास की व्यवस्था, ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना और भूमि संरक्षण का प्रयास करना।
19. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने हेतु जागरूकता शिविर लगाना। परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी दिलाना। शिशु पालन गृह का संचालन करना।
20. ट्रस्ट द्वारा समाजोत्थान हेतु संगोष्ठियों, परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना।
21. ट्रस्ट द्वारा साम्प्रदायिकता के विनाश एवं राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।
22. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूक करना तथा महिला/दलित महिला के श्रम का श्रमार्जन करना।
23. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं की सहभागिता पर आधारित कार्यों को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तिकरण हेतु तकनीकी शिक्षा, पौष्टिक आहार पोषण, शुद्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग, स्वास्थ्य उत्थान, महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं का क्रियान्वयन/कार्यान्वयन व संचालन करना।
24. ट्रस्ट द्वारा विकलांगों, मूक-बधिरों, नेत्रहीनों, मंदबुद्धि, मानसिक रोगियों व कुष्ठ रोगियों के कल्याण हेतु सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व सामान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागदारी पर जोर देना ताकि शिक्षा तकनीकी, शिक्षा रोजगार, परक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानवशक्ति विकास स्वच्छ शान्ति वातावरण सुरक्षा का दायित्व प्रदान करना। जिससे ये लोग समाज में प्रतिस्थापित हों और स्वावलम्बी बन सकें जैसे कार्य करना।
25. ट्रस्ट द्वारा हस्तरघा, पापड़ उद्योग, नमकीन, खाद्य तलधनी, हस्तशिल्प, शिल्पकला, ललित कला, संगीत, साहित्य अभिनय, गायन, वादन फोटोग्राफी, क्रियेटिव राइटिंग, जरी कला, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, डॉल मकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, पेंटिंग, वाल पेंटिंग, मूर्तिकला, पेंटिंग, हस्तकला, हस्तकागज, वस्त्र उद्योग, चिकन होजरी, सिलाई, कढ़ाई, जूट सामग्री, रेडीमेड गारमेंट्स, सब्जी मसाला, पैकिंग, चर्मकला उद्योग मूर्तिकला, चित्रकला काष्ठकला, हाथ

Vernila Shukla



कागज, लिफाफा, फाइबर गिलास, मसरूम कल्टीवेशन, रेशम उत्पादन व तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन कृषि प्रशिक्षण, खनिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौधारोपड़, नर्सरी, वानकीकरण, वृक्ष संरक्षण, खादी कताई, कम्प्यूटर, शार्टहैंड, टाइपिंग, इलेक्ट्रानिक्स उद्योग आदि की उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना एवं उक्त व्यवसाय में लगे लोगों का उत्थान करना।

26. ट्रस्ट द्वारा जड़ी-बूटी व औषधीय पौधों का प्रचार-प्रसार व संचालन एवं औषधीय पौधों के बारे में उपलब्धता और जागरूकता को बढ़ावा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान शिक्षा प्रसार-प्रचार की व्यवस्था करना व जड़ीबूटियों की खेती करना।
27. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण गंदी बस्तियों के प्रजनन व शिशुओं के लिए स्वास्थ्य मातृत्व जागरूकता तथा पौष्टिकता युक्त खाद्य पोषण, दवा व उपचार की उपलब्धता, व्यवस्था का प्रबन्ध करना।
28. जनसंख्या वृद्धि, परिवार कल्याण नियोजन, लिंगभेद, भ्रूणहत्या का निरोधन स्थिर रखने हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार, व्यापक अभियान, स्वास्थ्य परिचर्चा का आयोजन करना तथा समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूचना शिक्षा तथा संप्रेषण के माध्यम से सुदूर ग्रामों तक परिवार कल्याण कार्यक्रमों को पहुंचाने का कार्य करना एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।
29. एच0आई0वी0/एड्स को नियंत्रित करना, न्यूरो मानसिक, कैंसर एवं समस्त असाध्य रोगों की रोकथाम-बचाव हेतु प्रयास करना एवं उक्त नई-नई औषधियों आदि का अन्य संस्थाओं आदि के सहयोग से अन्वेषण करना व कराना, पेटेन्ट कराना, वितरण करना कराना, चिकित्सालय शिविर, चिकित्सालय व मोबाइल चिकित्सालय खोलना व संचालन करना तथा यौन संचारित संक्रमणीय रोगों का उपचार करना और राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के बीच अधिक से अधिक जन जागरूकता को बढ़ावा देने का कार्य करना, पल्स पोलियों अभियान का कार्य करना।
30. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन बस्तियों, जंगल वासियों, आदिवासियों व अतिकमजोर विस्थापित व अप्रवासी/प्रवासी गरीबों व निःसहाय लोगों की आवास, पोषण पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराना व निर्माण संचालन प्रबन्धन सेवा परामर्श आदि कार्य करना।
31. ट्रस्ट द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

Armita Shukla



32. ट्रस्ट द्वारा धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु पुस्तक आदि का प्रकाशन व उसे समुदाय में वितरण कराना।
33. ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत कुपोषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान/पौष्टिकता सम्बन्धी जानकारी, पूरक पोषण को बढ़ावा, कम मूल्य के पोषण/पौष्टिक आहारों का प्रयोग किशोरियों/शिशुओं को पोषण/पौष्टिकता सम्बन्धी देखभाल पर विशेष बल अनुश्रवण की व्यवस्था संचालन तथा प्रचार-प्रसार करना।
34. पर्यावरण तथा परिस्थितियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु संसाधनों का उपयोग करना एवं भौतिक कारकों में सामंजस्य स्थापित करना।
35. ट्रस्ट द्वारा कृषि का विविधिकरण उन्नत पद्धतियों द्वारा उत्पादन कर्ता को प्रोसाहित करना, भूमि संरक्षण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जलसंचरण, जलसंचय तथा नमी संरक्षण का ज्ञान व प्रचार-प्रसार करना।
36. ट्रस्ट द्वारा सतत ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाना। स्वैच्छिक कार्य सम्बन्धी राष्ट्रीय ऑकड़ा संग्रहण के रूप में कार्य करना। उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
37. ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के लोगों की सहभागिता और स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय सरकारों के द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का संचालन व नेटवर्किंग करना तथा ग्रामीण स्वच्छता, स्वच्छ/पयजल परियोजनाओं के कार्यक्रमों को संचालित करना।
38. ट्रस्ट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना, पर्यावरण संरक्षण नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण, बालिका सशक्तिकरण, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, वेश्यावृत्ति उन्मूलन, वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण का दिशा-निर्देशन एवं प्रचार-प्रसार एवं रोकथाम करना। पर्यटन विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, हरियाली कार्यक्रम, ऊसर-बंजर भूमि सुधार, भूमि विकास, गौ संरक्षण, गौ पालन, पशु-पक्षी पालन, प्रदूषण रहित परियोजनाओं की व्यवस्था, निर्माण एवं संचालन करना, बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों/लोगों की मदद करना।



Urmila Shukla



39. ट्रस्ट द्वारा बच्चों के अधिकार संरक्षण के उपाय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व प्रबन्धन करना जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ वातावरण, आवास व्यवस्था तथा शान्त वातावरण एवं सुरक्षा का दायित्व प्रदान करने का सुदूर ग्रामांचलों तक व्यवस्था करना।
40. ट्रस्ट द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषाओं के माध्यम से समाचार पत्र/पत्रिकाओं का संचालन व सम्पादन करना।
41. ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के सजायाफ्ता कैदियों/आजीवन कारावास कैदी के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने व समाज में पुनर्स्थापना व स्वावलम्बी बनाने हेतु सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधा व पुनर्वास के कार्यक्रमों का संचालन व व्यवस्था करना।
42. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का एवं संस्था अपने द्वारा जारी सभी कार्यों/परियोजनाओं के प्रबन्ध, कार्यान्वयन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, शोध, सांख्यिकी, रिकार्ड, सर्वे के कार्यों का संचालन व मार्गदर्शक के रूप सम्पन्न कराना तथा कार्यशाला, विचार गोष्ठी का आयोजन व संचालन करना, अनुभवी प्रशिक्षकों व वैज्ञानिकों के सहयोग को उपलब्ध कराना।
43. ट्रस्ट द्वारा सरकारी/अर्द्ध सरकारी/व्यक्तिगत देशी/विदेशी परियोजनाओं का निर्माण, संचालन, सर्वोक्षण, अन्वेषण, उपस्कर भूमिगत निर्माण, अनुसंधान विकास कार्यान्वयन, अनुश्रवण आदि का कार्य करना।
44. ट्रस्ट द्वारा मानव कल्याण हेतु शिक्षा, पोषण, आवास, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे आधारभूत आवश्यकताओं का सृजन, संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता हेतु सभी संसाधनों का उपयोग करना।
45. अ द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, रूढ़िवादी विचारों, अन्धविश्वासों को समाप्त करने हेतु प्रचार-प्रसार का आयोजन करना।
46. द्वारा ग्रामीण एवं शहरी पेयजल तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र को उपयुक्त रीति से निर्धारण में सहायता करना तथा पेयजल स्रोत, स्वच्छता एवं जल संरक्षण के संचालन हेतु बहुउद्देश्य सामुदायिक भवन आदि का निर्माण एवं रख-रखाव व प्रबन्धन करना।
47. ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क प्रौढ़ आँगनबाड़ी सेवा जनशिक्षण केन्द्र सहभागी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।



Urmila Shukla



48. समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग महिला समाज नेडा, शिफसा, यूनेस्को, यू0एन0डी0पी0 कपार्ट, यूनिसेफ, सिडवी, अवार्ड नाबार्ड, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, वन विभाग, विकलांग एवं कुष्ठ विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग, ट्राइसेम, डूडा, सूडा, जलनिगम, जल संसाधन, खादी ग्रामीद्योग बोर्ड, सांसदनिधि विधायक निधि, सैफ इंडिया, हेल्पेज इंडिया, राजीव फाउन्डेशन, नौराड आक्सफेम इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय स्वच्छकार वित एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग विकलांग कल्याण निदेशालय, उद्यान विभाग, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, सीमैप द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास, कृषि विकास, विकलांग कल्याण/कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना व खादी ग्रामोद्योग आयोग से सभी प्रकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों को प्राप्त करना।
49. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य अर्द्ध सरकारी विभागों व्यक्ति/व्यक्तियों स्वयं सेवी संगठनों से परियोजना सम्बन्धी सहयोग व परामर्श प्राप्त करने का कार्य तथा संचालन व प्रबन्धन करना तथा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यान्वयन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण व संचालन का कार्य करना।
50. ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु उनके अधिकारों को जन-जन तक ज्ञान पहुँचाने हेतु उनके कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
51. गांवों में किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व महिलाओं को मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन तथा पशुपालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार सम्बन्धी समस्त उपकरणों को बनाना तथा बनाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं मत्स्य पालन के विकास के लिए तकनीकी शोध कराना।
52. खादी ग्रामोद्योग, आयोग, जिला उद्योग केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित समस्त ग्राम उद्योगों की स्थापना करना।
53. ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु किसानों की सुविधा के लिए भण्डार गृह आदि की सुविधा उपलब्ध कराना व उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।
54. ट्रस्ट द्वारा सोलर एनर्जी चूल्हे, स्ट्रीट लाइट आदि सोलर उपकरणों का भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे उपक्रमों को संचालित करना।

Urmila Shukla

